भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 810625

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 32,00,626/-

बाजार मूल्य — रू0 8,20,700/-

अदा किये गये स्टाम्प शुल्क — रू0 2,24,105/-

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — पुरुष नगर उर्फ [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

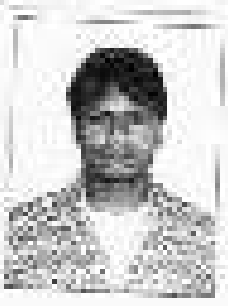

4. सम्पत्ति का विवरण—भूमि खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.341 है0, का पूर्वी भाग [illegible] ग्राम— [illegible] नगर उर्फ [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मार्ग की चौड़ाई — [illegible]

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल— 0.341 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व [illegible] से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं [illegible] — कुछ भी [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

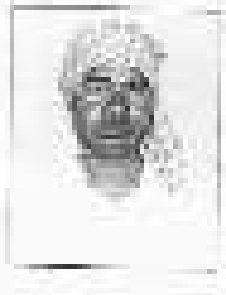

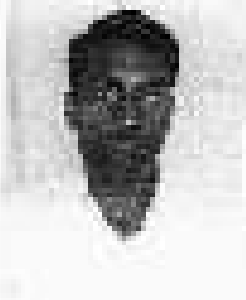

चौहद्दी खसरा नं० 118

उत्तर : खसरा नं० 116

दक्षिण : खसरा नं० 141

पूरब : खसरा नं० 117

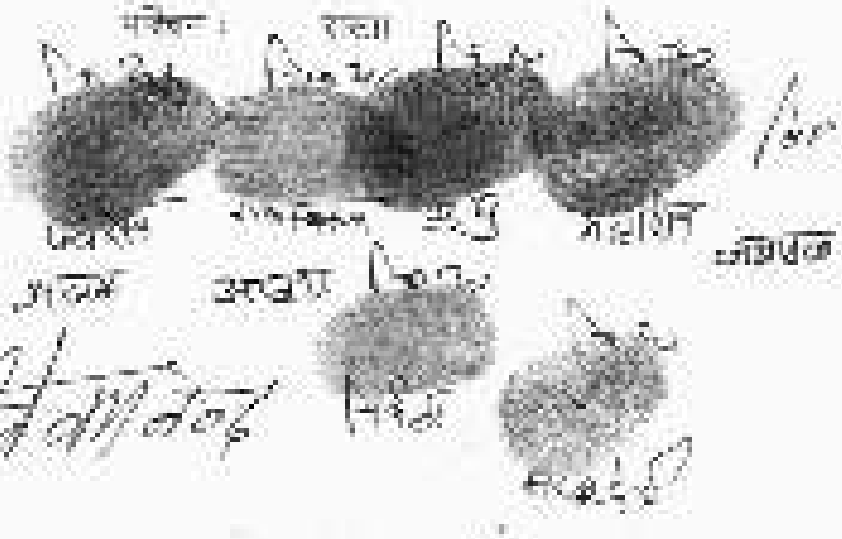

पश्चिम : रास्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810825

प्रथम पक्ष की संख्या– [illegible]   द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेतागण का विवरण	: क्रेता का विवरण
1. मनोदीन 2. राम [illegible] 3. [illegible] पुत्रगण मल्लू 4. मातादीन पुत्र मल्लू 5. [illegible] कुमार पुत्र महादीन 6. [illegible] 7. अजय कुमार 8. [illegible] कुमार पुत्रगण विनय कुमार (9. [illegible] कुमार 10. राजेन्द्र कुमार 11. [illegible] कुमार) (सभी नाबालिग) पुत्रगण विनय कुमार द्वारा	: [illegible] पुत्र राम [illegible] निवासी ग्राम– 39 [illegible] तहसील [illegible], जिला रायबरेली।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810529

नैसर्गिक संरक्षिका माता श्रीमती निर्मला देवी पत्नी विमल कुमार 12 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी विमल कुमार 13 विवेकानन्द पुत्र महादीन 14 श्रीमती सरयू देई पत्नी स्व0 महादीन निवासीगण-युसुफ नगर बीगियामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 310829

यह विक्रय विलेख 1. मतोदीन 2. राम स्वरूप 3. प्रभु पुत्रगण कल्लू 4. महादीन पुत्र पल्लू 5. विनय कुमार पुत्र महादीन 6. विमल कुमार 7. अजय कुमार 8. संजय कुमार पुत्रगण विमल कुमार 9. जितेन्द्र कुमार 10. राजेन्द्र कुमार 11. वीरेन्द्र कुमार (सभी नाबालिग) पुत्रगण विमल कुमार द्वारा नैसर्गिक संरक्षिका माता श्रीमती निर्मला देवी पत्नी विमल कुमार 12. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी विमल कुमार 13. विवेकानन्द पुत्र महादीन 14. श्रीमती रामप्यारी देई पत्नी स्व0 महादीन निवासीगण–यूसुफ नगर बनियामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् जय प्रकाश पुत्र राम किशुन तिवारी ग्राम–30 रेवरी, पुरैना खेड़ा तहसील लालगंज,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 510826

-7-

जिला रायबरेली जिसे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। विक्रेतागण व क्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं स्थलापन्न सम्मिलित है।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 118 रकबा 0.341 हे. का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- दुदुक नाम उर्फ ... परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काबिज व दाखिल है तथा सत्यापित कम्प्यूटराइज्ड खतौनी खाता संख्या 00... के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 610827

प्राप्त है। विक्रेतागण के नाम का अंकन राजस्व अभिलेखों में हो गया है।

यह की विक्रीत भूमि में ... है इसलिये उक्त भूमि पर खेती नहीं होती है।

यह कि विक्रेतागण की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26.02.2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेतागण को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेतागण को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 838753

0

को सम्भावना है अब विक्रेतागण – क्रेता या उत्तराधिकारी [illegible] अवगत कराये हुये भूमि का विक्रय करना तय किया है जो भूमि अधिग्रहीत होने की दशा में यह क्रेता या उसके उत्तराधिकारी व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेतागण द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

यह कि विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा [illegible] जो इस विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक काबिज व काबिज हैं और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि [illegible] [illegible] [illegible] न होने की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चुकी नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक साफ है उक्त विक्रेतागण ने इसे कहीं विक्रय से पूर्व कहीं बय, हिबा, रेहन या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उनके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या शुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AJ 838751

भारग्रस्त नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के फलस्वरूप मूल विक्रय मूल्य रू० 32,00,536/-(रू० बत्तीस लाख छः सौ **छत्तीस** मात्र) का प्रतिफल मैं निम्न अधोहस्ताक्षरी क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यही स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अंकित किया गया है, को सदैव बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को पक्की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बना दिया गया है। अब उक्त सम्पत्ति पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेतागण व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में किसी भी कारण या कानूनी अड़चन या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान स्थानापन्न इत्यादि से कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, स्थानापन्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा विक्रेतागण की चल-अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेतागण व उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेतागण या उनकी ओर से कोई भी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9 APR 2012

TRY. LKO.

-14-

विक्रित भविष्य में उक्त भूमि के स्वामित्व व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई वाद/मुकदमा किसी न्यायालय/अधिकारी/प्राधिकरण के समक्ष नहीं रहेगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को परिवेल खारिज दाखिल, अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति नगर ग्राम [illegible] नगर एवं वाणिज्यिक [illegible] क्षेत्र के [illegible] ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिये निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सर्किल रेट रू0 27,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.341 हेक्टेयर की मालियत रू0 9,20,700/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 2,24,100/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है तथा 200 मीटर के अन्तराल में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व राज्यकीय मार्गो पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड व [illegible] अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर की अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण अनुसूचित जाति वर्ग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेतागण को रू0 5,33,435/- ड्राफ्ट चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

विक्रेतागण को रू0 5,33,435/- ड्राफ्ट चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

विक्रेतागण को रू0 8,00,150/- ड्राफ्ट चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

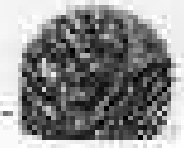

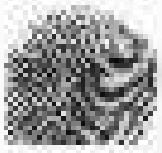

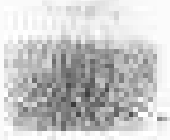

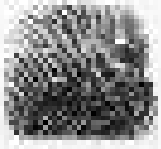

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

[illegible]
[illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 13505

[illegible] का वास्ता नहीं है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का खर्चा स्वयं क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

3. लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से राजी खुशी लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेतागण को रू0 5,85,400/- द्वारा चैक संख्या 493463 दिनांकित 16.04.2012 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

[illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

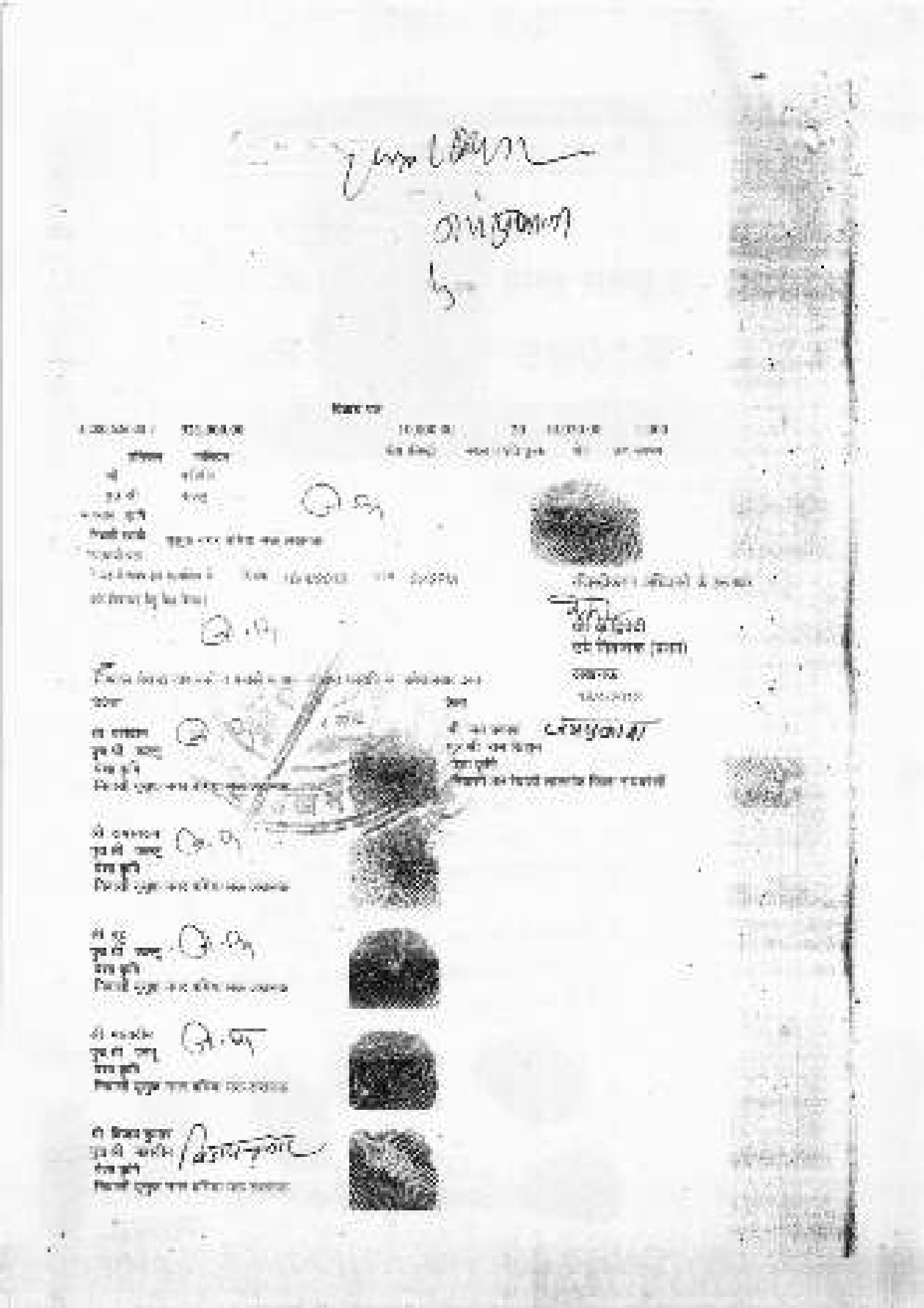

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. विक्रेतागण को रू० 2,00,000/- द्वारा चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केंद्र से प्राप्त हुए।

6. विक्रेतागण को रू० 2,00,000/- द्वारा चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केंद्र से प्राप्त हुए।

7. विक्रेतागण को रू० 2,00,000/- द्वारा चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केंद्र से प्राप्त हुए।

[illegible]

[illegible]

Registration No. [illegible] Year 2,012 Book No.

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

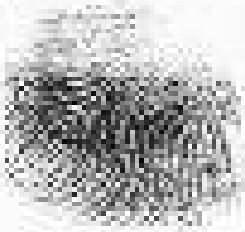

[illegible]

[illegible]

[illegible]

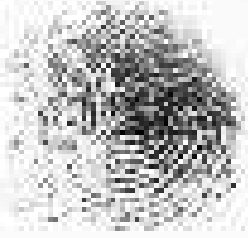

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

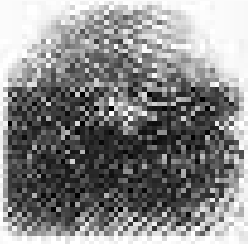

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

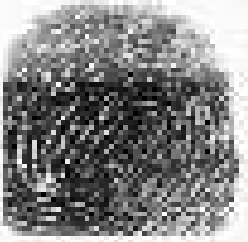

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

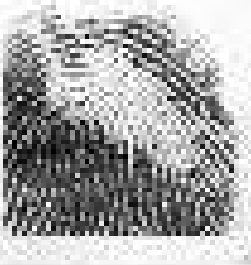

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 985296

- 3 -

8. विक्रयधन की रु0 33,340/- द्वारा चैक संख्या [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ केन्द्र से प्राप्त हुए।

9. विक्रयधन की रु0 33,340/- द्वारा चैक संख्या [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ केन्द्र से प्राप्त हुए।

10. विक्रयधन की रु0 1,33,360/- द्वारा चैक संख्या [illegible] दिनांकित 18.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ केन्द्र से प्राप्त हुए।

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	2007	[illegible]

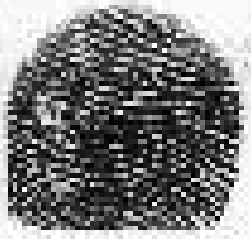

2106 [illegible]

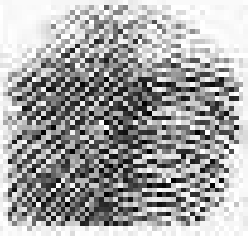

2107 [illegible]

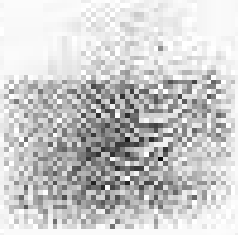

2108 [illegible]

2109 [illegible]

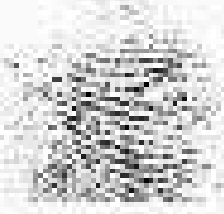

2110 [illegible]

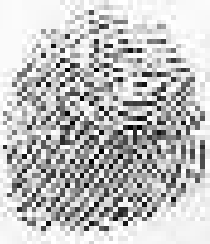

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य रू0 32,00,626/-(बत्तीस लाख छः सौ छब्बीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करता है तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेतागण को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 18.04.2012
गवाह :
1.

विक्रेतागण

2.

क्रेता

टंकणकर्ता
(लवकेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता—
(विजेन्द्र कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

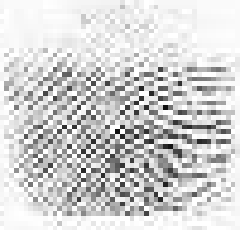

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आज दिनांक 18/04/2012 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 14110

पृष्ठ सं. 317 से 358 पर क्रमांक 7434

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

18/4/2012